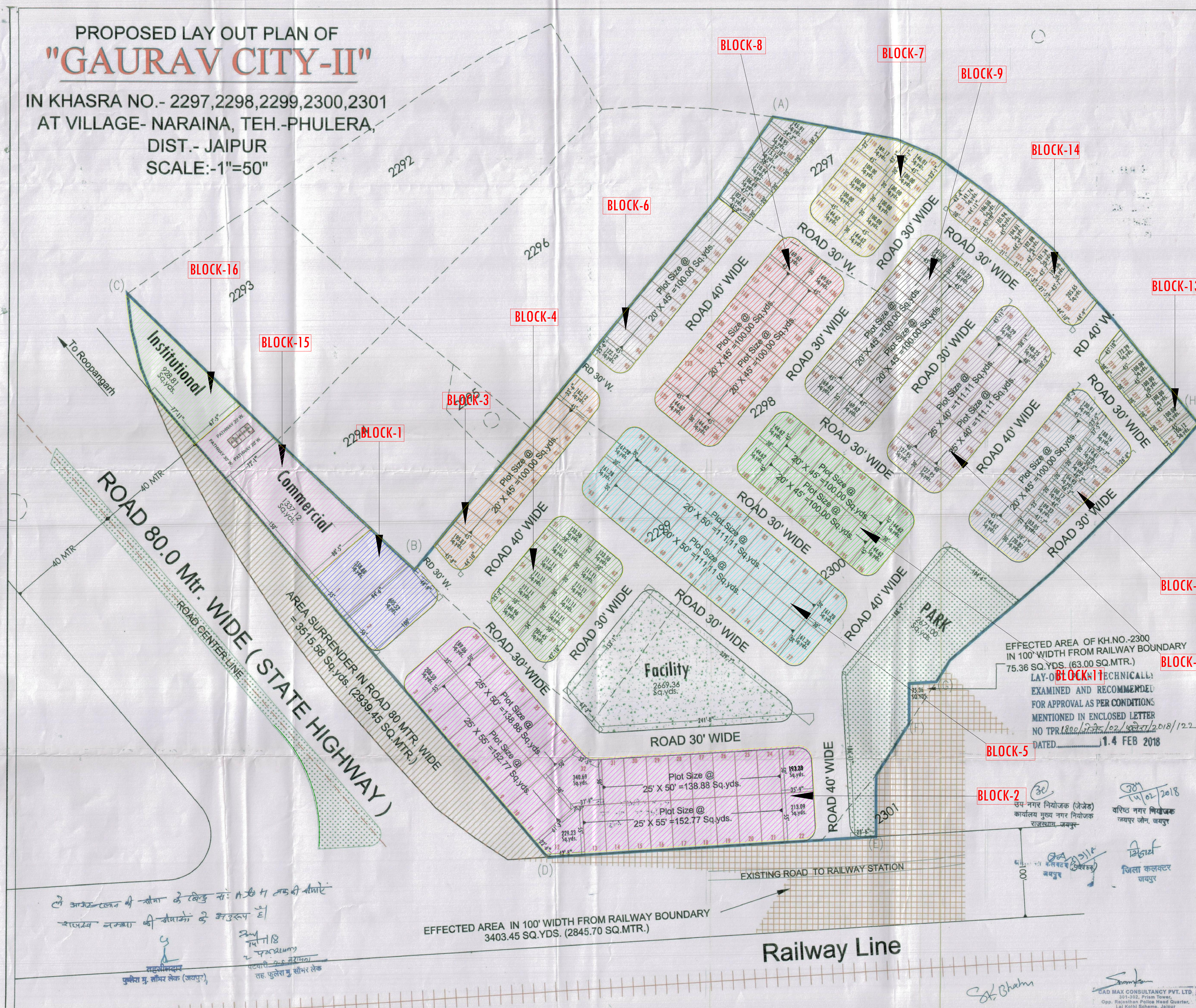


PROPOSED LAY OUT PLAN OF "GAURAV CITY-II"

IN KHASRA NO.- 2297,2298,2299,2300,2301
AT VILLAGE- NARAINA, TEH.-PHULERA,
DIST.- JAIPUR
SCALE:-1"=50"



KHASRA DETAIL

KHASRANO.	2297,2298,2299,2300,2301
AREA	50459.00 SQ. MTR, (19 BIGHA 19 BISWA)
NAME OF KHATEDAR :	SURENDRA KUMAR BHABHRA S/O SH. HARI SHANKAR BHABHRA

- कार्यक्रम द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी:-
- उपरोक्त ले-आउट प्लान का अनुमोदन पिछले स्वरूप से-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक: 06-08-2018 में विरचित किया गया है। यह संशोधित आदेश क्रमांक आरबी (6) 14/आर/7339 दि. 7-8-2018 का भाग होगा। आदेश में उल्लिखित शर्तों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
 - राजस्व विभाग के पत्रिचक्र क्रमांक: प.66(राज-6)/02/चार्ट/21 दिनांक: 27.08.2007 एवं पत्रिचक्र क्रमांक: प. 66(राज-6)/ 82 चार्ट 28 दिनांक: 08.10.2007 के प्रकाशनों की पालना की जायेगी।
 - भूमि को पूर्णतः रोक की उपस्थिति एवं स्वतः के अंतर्गत आने वाले भूमि में अनुमोदित योजनाएँ स्थित हैं तो योजना क्षेत्र की सड़कों की निरन्तरता विद्यमान योजना क्षेत्र की सड़कों से बनी रहेगी।
 - योजना में मुख्यतः पर सेंट्रल एवं अन्य मदन निर्माण के पैमीटर्स निकटतम नगरपालिका के मदन विनियमों के प्रावधानानुसार होंगे। योजना का विकास अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार करना होगा।
 - योजना में आवासीय सुविधाएँ जैसे: स्कूल, माली निर्माण, पार्कों का विकास, लाइट, पानी आदि विकास कार्य आवेदक को स्वयं के खर्चे पर विकसित करने होंगे।
 - आवेदक/शरी से प्रमाणित/समाप्त भूमि, सुविधा क्षेत्र की भूमि एवं नियम 4 में विनियम भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
 - योजना में दर्शाया गया पार्क, स्कूल, सुविधा क्षेत्र इत्यादि होंगे। निर्माण किया जायेगा जो राज्य सरकार के स्वीकृत में रहेगा।
 - योजना में नियमानुसार वाटर होवरिंग के प्रावधान लागू होंगे।
 - योजना में सड़क नगर नियोजक द्वारा अंकित शर्तों के अनुसार प्रमुखतः में सेंट्रल मदन विनियमानुसार पैमीटर्स रखा जायेगा।
 - योजना में सड़क नगर नियोजक द्वारा पत्र क्रमांक टीपीआर 1800/जेजेड / 02/ फुलेरा / 2016/122 दिनांक: 14-5-2016 (प्रति संस्करण) से प्रेषित तकनीकी जांच रिपोर्ट में उल्लिखित समस्त शर्तों की पालना शर्तों एवं जिला स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक कार्यक्रमों विवरण दिनांक: 06-08-2018 को क्रमांक 6823 दिनांक: 08-08-2018 से जारी किया जा चुका है। उल्लिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

NAME OF SCHEME :-
"GAURAV CITY-II"
AT VILLAGE- NARAINA, TEH.-PHULERA, DIST.- JAIPUR

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (Sq.yds.)	(%)
1	RESIDENTIAL	28662.22	53.72 %
2	COMMERCIAL	1740.20	03.26 %
3	INSTITUTIONAL	928.81	01.74 %
TOTAL (1+2+3)		31331.23	58.72 %
4	PARK	2671.00	05.01 %
5	FACILITY	2669.36	05.00 %
6	ROAD	16682.98	31.27 %
TOTAL (4+5+6)		22023.34	41.28 %
SCHEME AREA		53354.57 (44610.85 SQ.MTR.)	100.00 %
R.C. SURRENDER AREA IN 80 MTR ROAD		3515.58 Sq.yds. (2939.45 SQ.MTR.)	
TOTAL AREA		56870.15 Sq.yds. (47550.30 SQ.MTR.)	
EXCLUDING AREA IN RAILWAY (AS PER ADM LETTER)		3478.81 Sq.yds. (2908.70 SQ.MTR.)	
TOTAL KHATEDAR AREA		60348.96 Sq.yds. (50459.00 SQ.MTR.)	

LEGEND:-

KHASRA LINE	---
SCHEME BOUNDARY	---
SCHEME CORNER POINT-	(A,B,C,D,E,F,G,H)
SCALE :-	NORTH :-
1" = 50' FEET	
SUBMITTED TO :-	
DIST. COLLECTOR JAIPUR	

EFFECTED AREA OF KH.NO.-2300
IN 100' WIDTH FROM RAILWAY BOUNDARY
75.36 SQ.YDS. (63.00 SQ.MTR.)
LAY-OUT TECHNICALLY
EXAMINED AND RECOMMENDED
FOR APPROVAL AS PER CONDITIONS
MENTIONED IN ENCLOSED LETTER
NO TPR 1800/जेजेड/02/फुलेरा/2018/122
DATED 14 FEB 2018

उप नगर नियोजक (जेजेड)
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर जैन, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

EFFECTED AREA IN 100' WIDTH FROM RAILWAY BOUNDARY
3403.45 SQ.YDS. (2845.70 SQ.MTR.)

Railway Line

ले आउट प्लान की शर्तों के बिना स: 11.10.14 तक की सीमाएं
राजस्व नक्शा की सीमाओं के अनुरूप हैं।

27/11/18
प्रमुख नगर नियोजक
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक (जयपुर)
मुख्य नगर नियोजक (जयपुर)